

प्रति,

उपसंचालक कृषि

सागर (म.प्र.)

द्वारा – वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड

विषय – आई.एन.एम. वेलेन्स एण्ड यूज ऑफ फर्टीलाइजर योजना वर्ष के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने विषयक।

मैं पिता

जाति ग्राम विकास खण्ड

जिला सागर का निवासी हूँ। मैंने वर्ष में वर्मी कम्पोस्ट पिट आकार का तैयार कर उसमें किलोग्राम केंचुए भी डाल दिए हैं। इस कार्य पर कुल लागत रुपये चार हजार (4000/-) आई है, जो कि मेरे द्वारा व्यय की गई है।

अतः निवेदन है कि उक्त योजना अंतर्गत नियमानुसार अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय

कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड

क्रमांक/आई.एन.एम./वर्मी/ / दिनांक

मूलतः उपसंचालक कृषि सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि श्री पिता ग्राम द्वारा वर्ष वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण कार्य पूर्ण कर उसमें केंचुए भी किलोग्राम डाल दिये गये हैं, जिसका मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

अतः उक्त कृषक के नाम पर आई.एन.एम. योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु कुल लागत राशि रु. 4000/- का 25% या अनुदान राशि एक हजार जो भी कम हो स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
ग्रा.कृ.वि.अधि.

कृषि विकास अधिकारी
केन्द्र

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
वि.ख.
जिला – सागर

अनु. कृषि. अधिकारी
अनुभाग

सत्यापन प्रतिवदेन

कृषक पिता

को उपरोक्तानुसार योजना वर्मी कम्पोस्ट स्थाई स्थापना के अंतर्गत कृषक को 1000/- रु. का 25% जो भी कम हो अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

उपसंचालक कृषि
सागर

पावती

में पिता श्री

जाति ग्राम विकासखण्ड जिला सागर से
अनुदान के रूप में वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर 1000/- रुपये मात्र या 25% जो भी कम हो प्राप्त किए।

हस्ताक्षर कृषक

ग्राम वि.खं.

जिला-सागर (म.प्र.)